न्यायालय मे श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

§1§ सकूर मोहम्मद पिता मोहम्मद जमीर पेशा खेती निबासी ब्योहारी

§2§ बसीर मोहम्मद पिता जमीर मोहम्मद पेशा खेती निबासी ब्योहारी

§3§ भोला प्रसाद पिता रामदुलारे गुप्ता पेशा खेती निबासी ब्योहारी

सभी का जिला शहडोल म0प्र0 ------ अपीलार्थी/आबेदक गण

R- 3060-III/2015

बनाम

§1§ चन्द्रब्रम्ह पिता बीरेन्द्र सिंह पेशाखेती निबासी ग्राम ब्योहारी

§2§ राजेशकुमार पिता रामकृष्णगुप्ता निबासी ग्राम ब्योहारी

§3§ तुलसी दास पिता रामसनेही निबासी ग्राम ब्योहारी

उक्त तीनो का जिला शहडोल म0प्र0-- रेस्पान्डेन्ट गण

निगरानी बिरूध्द अपील रा0प्र0क्0 21/अ/6/2010-11 अंतरिम आदेश दिनांक- 6/8/15 अनु0 अधिकारी महोदय ब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0

=-=

मान्यबर,

बिनय है कि रेस्पा0क्0/अनाबेदकक्0 1,2,3 द्वारा अनुबिभागीय अधिकारी महोदय ब्योहारी के न्यायालय मे नामान्तरण पंजी क्0/2 प्रमाणी करण दिनांक- 10/11/2004 आराजी ग्राम ब्योहारी तहसील ब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0 के बिरूध्द अपील अबधि के बाहर प्रस्तुत किया गया था तथा धारा 5म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त अपील मे नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही किया गया था अपील जानबूझकर काफी बिलम्ब से प्रस्तुत किया गया था । अनुबिभागीय अधिकारी ब्योहारी द्वारा रेस्पा0क्01,2,3 से प्रभाबित होकर अपील को अबधि के अन्दर स्वीकार करते हुये अपील को ग्राह्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3060–तीन/2015 जिला–शहडोल

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–16	आवेदक अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ब्योहारी के प्र0 क्र0 21/अ/छ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 06.08.15 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0स0 की धारा 50 के अन्तगर्त यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ब्यौहारी के न्यायालय में नामांतरण पंजी क्र0 2 प्रमाणीकरण दिनांक 10.11.2004 आराजी ग्राम ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल के विरूद्ध अपील अवधि बाहर प्रस्तुत किया था तथा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । उक्त अपील में नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया। अपील जानबूझकर काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी द्वारा अनावेदकगण से प्रभावित होकर अपील को अवधि के अन्दर स्वीकार करते हुये अपील को ग्राह्य कर लिया गया । उक्त आदेश में काफी अनियमितता एवं अवैधानिकता है । नामांतरण पंजी क्र0 2 का आदेश प्रमाणिकरण दिनांक 10.11.04 को किया गया था जबकि अधीनस्थ न्यायालय में 6	

वर्ष बाद अपील प्रस्तुत किया गया है ।आवेदकगण द्वारा उक्त नामांतरण पंजी की प्रति लेने की अर्जी दिनांक 22.02.2010 को दिया जाना बताया जाता है । अनावेदकगण द्वारा पंजी की नकल लेने की अर्जी नहीं लगाया गया था, जबकि अनावेदकगण द्वारा अपील मेमों के साथ नामांतरण पंजी की नकल की छायाप्रति लगाया गया था, जिसका कोई महत्व नहीं है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण हित में आदेश पारित करने में त्रुटि की है, ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतएव निगरानी स्वीकार योग्य है ।

3/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ब्योहारी के आदेश का अवलोकन करने पर मैं इस निषकर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ब्योहारी द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का आदेश स्थिर रखा जाता है। इसी स्तर पर प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य